बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–I लघु खनन (स्टो0)–12 / 22–3313 / एम0, पटना, दिनांक–19/06/25

प्रेषक,

E-mail

विनोद दूहन, भा0प्र0से0
निदेशक, खान।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक।
सभी खनिज विकास पदाधिकारी।

विषयः– रेल पत्थर व्यवसायियों के मध्यम भण्डारण अनुज्ञप्ति से चालान निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1241, दिनांक–01.03.2025, पत्रांक–548, दिनांक–29.01.2025 एवं पत्रांक–2343, दिनांक–22.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से विभाग द्वारा रेलवे के माध्यम से पत्थर व्यवसाय करने वाले **मध्यम अनुज्ञप्तिधारियों** द्वारा उपयोग किये जा रहे सार्वजनिक धर्मकाँटा में CCTV कैमरा अधिष्ठापित कर विभाग से सम्बद्ध किये जाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक क्षांत किया गया था।

सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे के माध्यम से पत्थर व्यवसाय करने वाले **मध्यम अनुज्ञप्तिधारियों** द्वारा उपयोग किये जा रहे सार्वजनिक धर्मकाँटा में CCTV कैमरा अधिष्ठापित कर विभाग से सम्बद्ध किये जाने की अनिवार्यता क्षांत किये जाने के पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 अक्षरशः पूरे राज्य में प्रभावी होगी।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/6/25

निदेशक, खान

ज्ञापांक–3313 / एम0, पटना, दिनांक–19/06/25

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC-बिहार राज्य केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध किया जाता है कि चालान निर्गत करने की प्रक्रिया में उपरोक्त आदेश का अनुपालन किया जाए।

18/6/25

निदेशक, खान

ज्ञापांक–3313 / एम0, पटना, दिनांक–19/06/25

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / बालू शाखा / पत्थर शाखा / वृहत् खनिज शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/25

निदेशक, खान

D 2025